मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय

कमांक 102 /अमुस/पशुपा/डेयरी/ 21 भोपाल, दिनांक– 18 /6/21

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला – गोपाल

विषय :– वर्षा ऋतु में गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के संरक्षण के संबंध में।

———

सर्वविदित है कि निराश्रित गौवंश समस्या के प्रति शासन सजग एवं संवेदनशील है। निराश्रित गौवंश हेतु राज्य में स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाऐं संचालित है तथा इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 1000 गौशालाऐं खोली गई है।

शासन की मंशा अनुसार गौशाला संचालन में आपसे अपेक्षा है कि–

1. प्रमुख सड़क मार्गो एव शहरी क्षेत्रों के आवारा गौवंश को निकटस्थ गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिए नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जाये।

2. जिले के अंतर्गत संचालित गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश का बारिश के कारण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जावें। उनके आवास का स्थान सूखा हो एवं सुविधाजनक हो।

3. समस्त गौशालाओं में भूसे का भण्डारण एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता हो।

4. गौशालाओं में मौसमी बीमारियों की चपेट से बचाने के लिए टीकाकरण कार्य पूर्ण किया जावें ताकि संक्रामक बीमारियों से निराश्रित गौवंश की मृत्यु ना हो।

5. समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारियों को निर्देशित किया जावे की वह गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश की सतत् निगरानी एवं पशु उपचार की सुविधा समय पर प्रदान करें।

6. गौशालाओं संचालकों को सचेत किया जावें की वह उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(जे.एन.कंसोटिया) 18/6/2021
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग